

पत्रावली पेश हुई। प.०. हाएए कोरिडोर-१९
कार्य में व्यस्त रहने के कारण
कार्यवाही नहीं की जा सकी
पत्रावली दिनांक ०५/८/२०२०
को पेश हो ।

५/८/२०

पत्रावली पेश हुई। प.०. हाएए कोरिडोर-१९
कार्य में व्यस्त रहने के कारण
कार्यवाही नहीं की जा सकी
पत्रावली दिनांक २२/९/२०२०
को पेश हो ।

२२/९/२०

पत्रावली पेश हुई। प.०. हाएए राजकार्य
कार्य में व्यस्त रहने के कारण
कार्यवाही नहीं की जा सकी
पत्रावली दिनांक १०/११/२०२०
को पेश हो ।

१०/११/२०

पत्रावली पेश हुई। प.०. हाएए राजकार्य
कार्य में व्यस्त रहने के कारण
कार्यवाही नहीं की जा सकी
पत्रावली दिनांक ५/११/२१
को पेश हो ।

5.01.2021

पत्रावली प्रस्तुत। वकील बाबू अनुपस्थित।
बार-बार आवाज लगावारी रहे। कोई
उपस्थित नहीं आया। पत्रावली को
क्षमलोक में किया गया तो पाया कि
वकील बाबू को पूर्व दिनांक २४.१२.२०१७
, २९.१२.२०१७, ०९.०३.२०१८ और ०८.६.२०१८
और इसी प्रकार अनेक बार प्रतिवादीगण

का
जिला कलकत्ता जिल्ला
बस्सी जिला-जयपुर

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

की तामील जरीए रमि. डक ये कथाने हेतु पर्याप्त व अंतिम इवसट दिल जा चुके हैं किन्तु वकील वादी द्वारा न्यायालय को गैर है। और आज वकील वादी इतुपक्षित हैं। इसके खरत हैं कि वादी अपने वाद को नवाए जाने के इच्छुक नहीं हैं। अतः वाद इवम हाजिरी के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली नंबर के कथेकत दफतर दखिल हो।

निर्णय से इजलास आज दिनांक 05.01.2021 को सुनाया गया।

Kano

उम जिल्ला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्नी जिला-जयपुर